राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 585/2016/सिरोही.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स, सदर बाजार, सिरोही. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 24/11/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 24/आरवेट/सिरोही/15–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 व 65 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 17.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के दौरान ''बीकाजी ब्राण्ड की नमकीन/वेफर्स'' का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से किया गया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए तद्नुसार अन्तर कर, ब्याज एवं करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण आदेश दिनांक 17.01.2011 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 16.05.2008 मैसर्स पेप्सिको होल्डिंग में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर व ब्याज की पुष्टि की गयी, जबकि धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स** के आलोक अपास्त की गयी। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने के आदेश को त्रुटिपूर्ण होने का कथन किया तथा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने समस्त बिक्री अपनी बहियात एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों में प्रदर्शित कर रखी है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य निर्णय दिनांक 21.04.2009** के प्रकाश में शास्ति अपास्त की है।

6. अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

7. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य